प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के सफल कार्यान्वयन हेतु मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार की अध्यक्षता में गठित "राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं अनुश्रवण समिति "State Level Sanctioning and Monitoring Committee (SLSMC) की दिनांक–13.11.2020 को संपन्न 20वीं बैठक की कार्यवाही ।

अनुपस्थित– संलग्न।

सर्वप्रथम मुख्य सचिव–सह–अध्यक्ष के द्वारा बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए बैठक की कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दिया गया।

निदेशक द्वारा विषय प्रवेश कराते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) (PMAY-U) के चतुर्थ घटक "लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण" (BLC), वित्तीय वर्ष 2020–21 हेतु वार्षिक क्षमता सवंर्धन प्लान (Annaul Capacity Building Plan) आदि विषय वस्तु की विस्तृत जानकारी दी गयी, तत्पश्चात् सदस्यगण द्वारा बैठक की कार्यावली पर विस्तार से बिन्दुवार विमर्श किया गया। विचार–विमर्श के उपरांत योजना कार्यान्वयन हेतु निम्नलिखित निर्णय लिए गए :–

प्रस्ताव सं0 1 – योजना के चतुर्थ घटक "लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण" (BLC) हेतु राज्य के 16 शहरी स्थानीय निकायों के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) भारत सरकार को भेजने हेतु अनुमोदन दिया गया।

1951
26/11/2020

योजना के चतुर्थ घटक "लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण" (BLC) के तहत राज्य के 16 शहरी स्थानीय निकायों से कुल 9705 आवासों के निर्माण हेतु विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, जिसकी स्वीकृति भारत सरकार के CSMC से प्राप्त करनी है। निकायवार योजनाओं की विवरणी निम्नवत् हैं :–

Sl. No.	ULB	No. of Beneficiary	Central Share @ Rs.1.5 Lakh	State Share @ Rs. 0.75 Lakh	Beneficiaries' Contribution @ Rs. 1.371 Lakh	Total Project Cost (Rs. in Lakhs)	Unit Cost per DU (Rs. in Lakhs)
1	Chaibasa	**131**	196.50	98.25	179.60	474.35	
2	Chakradharpur	**281**	421.50	210.75	385.25	1017.50	
3	Dhanbad	**1111**	1666.50	833.25	1523.18	4022.93	
4	Medininagar	**484**	726.00	363.00	663.56	1752.56	
5	Rajmahal	**163**	244.50	122.25	223.47	590.22	
6	Seraikela	**38**	57.00	28.50	52.10	137.60	
7	Jamtara	**1203**	1804.50	902.25	1649.31	4356.06	
8	Koderma	**169**	253.50	126.75	231.70	611.95	
9	Mihijam	**738**	1107.00	553.50	1011.80	2672.30	**3.621**
10	Madhupur	**2318**	3477.00	1738.50	3177.98	8393.48	
11	Gumla	**971**	1456.50	728.25	1331.24	3515.99	
12	Simdega	**489**	733.50	366.75	670.42	1770.67	
13	Manjhiaon	**473**	709.50	354.75	648.48	1712.73	
14	Mahagama	**428**	642.00	321.00	586.79	1549.79	
15	Garhwa	**314**	471.00	235.50	430.49	1136.99	
16	Chakuliya	**394**	591.00	295.50	540.17	1426.67	
	Total	**9705**	**14557.50**	**7278.75**	**13305.56**	**35141.81**	

23/11

24/11/2020

उपरोक्त प्रस्ताव के आलोक में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत अभी तक की प्रगति की समीक्षा की गई। उक्त समीक्षा के क्रम में अभी तक प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के चतुर्थ घटक अन्तर्गत कुल स्वीकृत आवासों (128278 आवास) में से निकायों से अब तक प्रस्तावित 10601 आवासों का प्रर्त्यपण भारत सरकार को किया जाना है।

अतः यह निर्णय लिया गया कि चतुर्थ घटक अन्तर्गत उपरोक्त निकायों में से यदि प्रत्यर्पण सूची प्राप्त है तो उन निकायों के नये प्रस्ताव से Interchange कर लिया जाए तथा वैसे निकाय जिनके द्वारा स्वीकृत आवासों का प्रत्यर्पण नही किया जा रहा है तो उनका नया प्रस्ताव भारत सरकार के पास स्वीकृति हेतु भेजा जाए।

अतः भारत सरकार द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र (7C) पर नये DPR की वांछित सूचना भारत सरकार को उपलब्ध कराये जाने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

<u>प्रस्ताव सं0 2 –</u> योजना के तृतीय घटक "भागीदारी में किफायती आवास का निर्माण" हेतु राँची के HEC area में Greater Ranchi Development Agency (GRDA) से Exchange में प्राप्त भूमि पर V–3 के लगभग 7100 आवासों के निर्माण के प्रस्ताव पर सैद्धांतिक सहमति दिया गया।

S.No	City/ ULB	Project Location	CSMC No.	Approved No. of EWS Houses	Total Project cost (Rs. Lakhs)	Remarks
1	Ranchi	Tiril	28	2520	18,188.52	The plots at Tiril & Labed will go to GRDA after exchange of land with UD&HD. Hence, the project approved in these lands shall be revised on the lands provided by GRDA at Anni and Bhusur Mauza, Ranchi within the same ULB.
2			28	1040	7,640.61	
3		Labed	28	2080	15,086.08	
4			28	1160	8,599.16	
5			28	195	1,448.88	
6			28	105	783.91	
		Sub-total		**7100**		

आनी मौजा एवं भूसूर मौजा में प्राप्त भूमि पर V–3 के लगभग 7100 आवासों का DPR तैयार कर भारत सरकार को भेजने पर सैद्धांतिक सहमति प्रदान की गई। इन आवासों का निर्माण उपरोक्त अंकित भूमि पर करने के संबंध में राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाए।

<u>प्रस्ताव सं0 3 –</u> प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के चतुर्थ घटक के तहत 38 DPRs के Gender Category Modification (Format 7C संशोधित) पर समिति का अनुमोदन।

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के चतुर्थ घटक के तहत निकायों द्वारा MIS Attachment के समय DPR में स्वीकृत ऑकड़े एवं MIS के ऑकड़ें में भिन्नता पायी गयी, जिसके आलोक में 38 DPRs के Gender Category Modification (Format 7C संशोधित) करने का कार्य किया गया है, जिससे SLSMC को सूचित किया गया। समिति द्वारा सूचना ग्रहण की गई।

भविष्य में ऐसे प्रस्तावों पर SLNA (State Level Nodal Agency) द्वारा निर्णय लिया जाए।

23/11

24/11/2015

प्रस्ताव सं0 4 – प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तृतीय घटक "भागीदारी में किफायती आवास" (AHP) अन्तर्गत निकाय में स्थल परिवर्तन हेतु अनुमोदन।

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तृतीय घटक "भागीदारी में किफायती आवास" (AHP) अन्तर्गत विभिन्न निकायों में एक या एक से अधिक आवासीय परियोजना भारत सरकार से अनुमोदित है। विदित हो कि योजना के क्रियान्वयन हेतु निर्गत विभागीय संकल्प संख्या– 5382 दिनांक–02.11.2018 के अनुसार आवासों के लागत का लगभग 60 से 70 प्रतिशत लाभुक अंशदान है। वर्त्तमान में कोरोना महामारी के कारण इन परियोजनाओं हेतु लाभुक सहमति प्राप्त नहीं हो पा रही है। अतः वर्त्तमान परिप्रेक्ष्य में उक्त स्वीकृत आवासीय परियोजनाओं का किसी–किसी निकायों में चिन्हित स्थल/ स्थलों में निर्माण किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता। अतः समिति ने निम्न बिन्दुओं पर अपनी सैद्धांतिक सहमति दी –

I. एक ही निकाय में यदि एक से अधिक आवासीय परियोजना अनुमोदित है तो स्थल परिवर्तन की अनुमति प्रदान की जा सकती है।
II. जिन निकायों में लाभुक सहमति न के बराबर है, उन आवासीय परियोजनाओं को निकटवर्ती निकायों में स्थानान्तरित करने पर विचार किया जा सकता है।

यह भी निर्णय लिया गया कि किसी भी आवासीय परियोजना के स्थल परिवर्तन से संबंधित निर्णय सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा लिया जाएगा। SLNA (निदेशालय नगरीय प्रशासन) द्वारा "राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं अनुश्रवण समिति "State Level Sanctioning and Monitoring Committee (SLSMC) की अगली बैठक में इन प्रस्तावों पर घटनोत्तर सहमति प्राप्त कर ली जाएगी।

प्रस्ताव सं० 5 – प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 हेतु वार्षिक क्षमता संवर्धन प्लान (Annual Capacity Building Plan) पर समिति का अनुमोदन।

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 हेतु Annual Capacity Building Plan तैयार किया गया है। वार्षिक क्षमता संवर्धन प्लान का बजट 5531.82 लाख रू० का है, जिसकी विवरणी निम्नवत् हैं :–

Sl. No.	Activity	State Share	Central Share	Total (Amount in Lakh)
1	Establishment of SLTC	29.61	82.35	111.96
2	Establishment of CLTC	162	486	648
3	Trainings and workshops	0	24.55	24.55
5	Documentations/Research	0	5	5
6	IEC	0	54.98	54.98
7	TPQM	33.8	101.4	135.2
8	Social Audit	0	5.5	5.5
9	Geo-Tagging (80000 Dus@Rs200/- per DU)	0	160	160
	A= Sub-Total	**225.41**	**919.78**	**1145.19**
10	**B=** Administrative & Other Expenses (A&OE) Cost @5 % 0f (1+2+3+4+5+6+7+8+9)	**11.27**	**45.989**	**57.26**
11	**C=** Project Management Consultancy of 256 project (1,28,278 DUs) @ 1.5 % of the total project cost	**1082.34**	**3247.03**	**4329.37**
Grand Total (A+B+C)		**1319.02**	**4212.80**	**5531.82**

(कुल पचपन करोड़ एकतीस लाख बिरासी हजार मात्र)

23/11

24/11/2020

अतः वित्तीय वर्ष 2020–21 हेतु वार्षिक क्षमता संवर्धन प्लान (Annual Capacity Building Plan) भारत सरकार को उपलब्ध कराये जाने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

<u>प्रस्ताव सं0 6</u>– योजनान्तर्गत द्वितीय किस्त की राशि की प्राप्ति हेतु त्रिपक्षीय गुणवत्ता अनुश्रवण एजेंसी (TPQMA) से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर तैयार Action Taken Report (ATR) भारत सरकार को उपलब्ध कराये जाने पर समिति का अनुमोदन।

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के चतुर्थ घटक लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण (BLC) के तहत निर्माण किए जा रहे आवासों की गुणवत्ता जाँच, मार्गदर्शिका के अनुरूप त्रिपक्षीय गुणवत्ता अनुश्रवण एजेंसी (TPQMA) के रूप में जुडको लि०, राँची को नामित किया गया है। योजनान्तर्गत विभिन्न वित्तीय वर्षो में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत योजनाओं के द्वितीय एवं तृतीय किस्त की राशि की प्राप्ति हेतु त्रिपक्षीय गुणवत्ता अनुश्रवण एजेंसी (TPQMA) से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर तैयार Action Taken Report (ATR) भारत सरकार को उपलब्ध कराया जाता है, जिसपर योजनान्तर्गत गठित SLSMC समिति द्वारा अनुमोदन लिया जाता है।

पुनः योजनान्तर्गत स्वीकृत परियोजनाओं के द्वितीय किश्त की राशि भारत सरकार से प्राप्ति हेतु ATR पर SLSMC समिति का अनुमोदन लिया गया है। विवरणी निम्नवत् है :–

CSMC No/तिथि	वित्तीय वर्ष/फेज़	नगर निकायों की संख्या	स्वीकृत आवासों की संख्या	ATR के अनुरूप किस्त प्राप्ति हेतु अनुरोध
47वीं /25.09.2019	2020–21 (2)	17	8374	द्वितीय किस्त

अतः योजनान्तर्गत स्वीकृत योजना के विरूद्ध जुडको लि० से द्वारा प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आधार पर तैयार ATR भारत सरकार को भेजने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्रवाई सम्पन्न की गई।

ह०/–
(सुखदेव सिंह)
सरकार के मुख्य सचिव।

ज्ञापांक–07/न०प्र०नि०/PMAY(HFA) 01/2015...1951... **राँची/दिनांक–**...26/11/2020

प्रतिलिपिः–मुख्य सचिव, झारखण्ड के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/बैठक में उपस्थित सभी सदस्यगण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/11/2020
सरकार के सचिव।

23/11